भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 23

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

शिक्षा ऋण की अस्वीकृति

23. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक अभिभावकों का सिबिल स्कोर जांचते हैं और उनके बच्चों को शिक्षा ऋण देने से मना कर देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक शिक्षा ऋण देने के लिए भूमि के दस्तावेज या सोने जैसी कोई अन्य प्रकार की प्रतिभूति ले रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा छात्रों को प्रदान किये जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस), 2022 (दिनांक 21.3.2024 को अंतिम बार संशोधित) को अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि यदि छात्र/माता-पिता/अभिभावक की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो उन्हें ऋण प्राप्त करने योग्य (क्रेडिटवर्दी) माना जाएगा। तथापि, प्रतिकूल क्रेडिट हिस्ट्री के मामले में बैंक अपने विवेक पर अपनी जोखिम-वहन क्षमता के आधार पर एक उपयुक्त मानदंड तैयार कर सकते हैं। 7.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए सामान्यत: बैंक का दृष्टिकोण अनुकूल होता है क्योंकि ये ऋण शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि से समर्थित होते है। इसके अतिरिक्त, ऋण आवेदन की अस्वीकृति, यदि कोई हो, अगले उच्चतर प्राधिकारी की सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा, आईबीए ने यह प्रस्तुत किया कि जिन मामलों में क्रेडिट हिस्ट्री उपलब्ध है, बैंक ऋण आवेदनों के लिए समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में शिक्षा ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से क्रेडिट रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। आवेदक/सह-आवेदक की साख ऋण पात्रता और शर्तों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अनुकूल क्रेडिट रिपोर्ट आम तौर पर सुचारू अनुमोदन प्रक्रिया को सुकर बनाती है।

(ग) से (घ): प्रतिभूति लेने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने*10 अप्रैल, 2010* के परिपत्र आरपीसीडी. एसएमई एंड एनएफएस.बीसी. सं.69/06.12.05/2009-10. के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त ऋण-शिक्षा ऋण योजना के संबंध

में यह सलाह दी है कि बैंकों को 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों के मामले में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आईबीए के एमईएलएस में यह प्रावधान है कि ₹ 7.50 लाख तक की ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष गारंटी अपेक्षित नहीं है, बशर्ते कि वे शिक्षा ऋण के लिए केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)/क्रेडिट गारंटी फंड योजना के लिए पात्र हों।

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर 7.50 लाख रुपये से अधिक का संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दिनांक 06.11.2024 को किया गया है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण सक्षम बनाती है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न करें। यह योजना मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है और सक्षम बनाती है जो देश के शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेते हैं और इन क्यूएचईआई के मेधावी छात्रों को एक सरल, पारदर्शी, छात्र के अनुकूल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाता है।

(ङ): जहां तक छात्रों को बैंकों द्वारा लाभ प्रदान करने का संबंध है, केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना भारत में तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए आईबीए के एमईएलएस के अंतर्गत लिए गए ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। जिन छात्रों की वार्षिक सकल पैतृक / पारिवारिक आय ₹ 4.5 लाख तक है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं।

इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एक वर्ष में अधिकतम एक लाख जरूरतमंद छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज सहायता भी प्रदान करती है, जिन्हें शिक्षा ऋण पर किसी अन्य छात्रवृत्ति/ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिलता है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है।

****